## अध्याय 8

## अनुपूरक

धारा 31. कतिपय कृत्यों को स्थानीय प्राधिकारी को अन्तरित करने की और अधिशेष प्राप्तियों को स्थानीय निधि में जमा करने के निर्देश देने की राज्य सरकार की शक्ति - राज्य सरकार समय-समय पर शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा-

(क) अपने प्रशासनाधीन राज्य क्षेत्रों के किसी भाग में, जिसमें यह अधिनियम प्रवृत्त हो, किसी स्थानीय अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट के सब या किन्हीं कृत्यों का अन्तरण उस स्थानीय अधिकारी की अधिकारिता के अध्यधीन स्थानीय क्षेत्र के अन्तर्गत कर सकेगी।

(ख) यह निर्देश देने की इस अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत प्रोद्भूत धनराशि पूर्णतः अथवा अंशतः स्थानीय निधि के प्रत्यय पर रखी जायेगी जो उस जिले के किसी क्षेत्र अथवा क्षेत्रों के निमित्त हो। परन्तु किसी राज्य शासन या जिला दण्डाधिकारी के कृत्य, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र में विधि विस्मरण नियम, 1928 के प्रवृत्त होने के पूर्व किये जा रहे थे, इस अधिनियम के प्रभाव में आने के कारण ऐसे सभी कृत्य ऐसे स्थानीय प्राधिकारी को इस धारा के अधीन हस्तान्तरित मोन जावेंगे।

(म.प्र. विधान क्र. 23, वर्ष 1958 के अनुसार संशोधित)

धारा 32. नियम बनाने की शक्ति - राज्य शासन -

(अ) धारा 12 अ के अधीन अमानती राशि जमा करने की मात्रा तथा घोषणा करने की मात्रा तथा घोषणा करने की प्रक्रिया तथा प्रपत्र निर्धारित करने विषयक, तथा

(ब) अमानती राशि को जमा करने का विनियमन, संरक्षण तथा उसकी वापसी के संबंध में रीति निर्धारण करने विषयक।

(स) ऐसी रीति जिसके द्वारा पशुओं का व्ययन किया जावे, के सम्बन्ध में नियम बना सकेगी।